**धारा-36. अभिलेख आदि कब्जे में लेना**-(1) यदि धारा 35 के अधीन किसी सहकारी समिति की प्रबन्ध कमेटी को निलम्बित अथवा अवक्रान्त किया जाये अथवा यदि धारा 72 के अधीन समिति के समापन का आदेश दिया जाये और प्रबन्ध कमेटी के बर्हिगामी सदस्य, समिति के अभिलेख तथा सम्पत्ति का प्रभार यथास्थिति निबन्धक के नाम निर्दिष्ट व्यक्ति को अथवा धारा 35 की उपधारा (2), (3) और (4) के अधीन कमेटी, प्रशासक या प्रशासकों को अथवा परिसमापक को न दे तो निबन्धक का उक्त नाम-निर्दिष्ट व्यक्ति प्रशासक या प्रशासकगण अथवा परिसमापक समिति के अभिलेख तथा सम्पत्ति को प्राप्त करने के लिए किसी ऐसे मजिस्ट्रेट जिसके अधिकार क्षेत्र में उक्त समिति कार्य करती हो, प्रार्थना-पत्र दे सकते हैं।

(2) उपधारा (1) के अधीन प्रार्थना-पत्र प्राप्त होने पर, मजिस्ट्रेट ऐसी कार्यवाही करेगा जो समिति के अभिलेख और सम्पत्ति को कब्जे में लेने के लिए आवश्यक हो और किसी पुलिस अधिकारी को अभिपत्र द्वारा ऐसे अभिलेखों तथा सम्पत्ति को कब्जे में लेने के लिए प्राधिकृत कर सकता है और इस प्रकार अभिग्रहीत अभिलेख तथा सम्पत्ति प्रार्थी को दे दी जायेगी।